कार्यालय– न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर, जिला– जशपुर (छ0ग0)

—::सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन::—

क्रमांक– 103/दो–12–3/2024, जशपुर, दिनांक 17/09/2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि :–	**18/09/2024 सुबह 11:00 बजे से**
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :–	**18/10/2024 संध्या 05:00 बजे तक**

कुटुम्ब न्यायालय जशपुर स्थापना के रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

01. रिक्त पदों का विवरण :–

क्र0	रिक्त पद का नाम	पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य			
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
तृतीय श्रेणी पद																		
01	सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (टापिस्ट)	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी																		
01	चौकीदार–01 वाटरमेन–01	02	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-

संकेतक :– मु.–मुक्त, म.–महिला, दि.–दिव्यांग, भूपू. सै.– भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :–

(i) **उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।**

(ii) आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

(iii) महिलाओं को नियमानुसार होरिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जावेगा, वरण उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

(v) सा.प्र.वि. क्र. एफ 3–1/2016/1–3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये लागू है।

02. **भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–**

सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष टायपिस्ट पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक /तकनीकी अर्हताएं :–

अ– **वेतनमान–**

(छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–4) (19500–62000)

ब– **शैक्षणिक योग्यता :–**

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा;

(iii) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।

(iv) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

03. **आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन) पद के लिये –**

1. **वेतनमान :–** कलेक्टर जशपुर, द्वारा निर्धारित दर पर।
2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–**

अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला (कक्षा पॉचवी) की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

ब. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें, साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हो जैसे ड्रायवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य का शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम या प्राईवेट कम्पनी में कार्य का अनुभव हो और अनुभव प्रमाण संस्था प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया गया हो, संलग्न किये जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

स. चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर जशपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्ति किया जायेगा एवं उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जावेगी।

04. **आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–**

(i) **आयु–सीमा –**

उम्मीदवार दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पुरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो,परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज़्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आयु संबंधी प्रमाण के लिए तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों को हाईस्कूल/हायर सकेण्डरी के प्रमाण पत्र एवं आकस्मिकता निधि के उम्मीदवारों को पांचवी के प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो उम्मीदवार उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. **अन्य शर्ते –**

(i) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

(ii) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(iii) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वास्थ्य प्रमाणित नहीं किया गया हो, परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्ति किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

(iv) अभ्यर्थी की ओर उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।

(v) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि :–

(क) वह किसी विधि–विरूद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रहा चुका है;

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनके जुड़ा हुआ है –

(i) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो;

(ii) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो;

(iii) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो;

अथवा

(iv) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका हो;

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो;

अथवा

(ङ) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्धि ठहराया जा चुका हो।

(vi) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(vii) तृतीय श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर, जिला–रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित **उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।** परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण ना होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(viii) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(ix) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(x) जो उम्मीदवार शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(xi) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(xii) यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरूद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसकी सूचना समिति के द्वारा कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर (छ0ग0) के शासकीय वेबसाईट **https://jashpur.dcourts.gov.in** में की जावेगी।

6. **उच्चतम आयु सीमा में छूट** –

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थीयो को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iv) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मीयों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन

वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/ परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(vii) स्वयंसेवा नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(ix) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीपः– 01. बिन्दु क्रमांक 06 (**i** से **ix**) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

02. बिन्दु क्रमांक 06 (**x** से **xi**) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाऐगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

यदि कोई अभ्यार्थी कोई छूट, आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो उसे राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

07. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया** :–

(i) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र ए4 साईज पेपर में पूर्णतः साफ–सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो, को कार्यालय–न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर (छ0ग0) पिन कोड 496331 में दिनांक 18.10.2024 संध्या 05:00 बजे तक पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **(व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे)** दिनांक 18.10.2024 की संध्या 05:00 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र स्वयं अभिप्रमाणित (Self attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ii) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर (छ0ग0) के शासकीय वेबसाईट **https://jashpur.dcourts.gov.in** में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हों तो उन्हें प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पद के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(v) ई–मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(vi) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

(vii) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

(viii) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

08. **सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष टायपिस्ट पद के लिए** :–

(अ) प्रथम चरण–लिखित परीक्षा–50 अंक

(i) आवेदकों की संख्या अधिक होने पर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर (छ0ग0) द्वारा गठित समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1–1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही

उत्तर पर **राईट** (✓) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर चिन्ह लगाये जाने पर उत्तर गलत माना जावेगा। परीक्षा अवधि 01 घण्टे की होगी।

(ii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) द्वितीय चरण–कौशल परीक्षा–100 अंक

कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों के दिए गए लिखित मेटर को 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर पर **उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस** में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि हेतु 1/2 अंक काटा जावेगा,जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी लागू होगा।

(स) साक्षात्कार–10 अंक

टायपिस्ट (सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष) पद हेतु रिक्त स्थानों के विरूद्ध तीन गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा।

09. **आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन) पद के लिये –**

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

(अ) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु–60 अंक

उक्त पद के लिये प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा।

(ब) साक्षात्कार–05 अंक

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) चौकीदार, वाटरमेन पद हेतु रिक्त स्थानों के विरूद्ध तीन गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा।

10. **टायपिस्ट (सहायक ग्रेड–03 एवं आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) चौकीदार, वाटरमेन के पद के लिये –**

मेरिट सूची/चयन सूची/प्रतीक्षा सूची

(i) कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले

अभ्यर्थी की वर्गवार अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) तैयार की जावेगी जो कि 1:3 में होगी। उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त सूची का प्रकाशन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के शासकीय वेबसाईट **https://jashpur.dcourts.gov.in** में अपलोड एवं कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय जशपुर के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा–आपत्ति हो तो उपरोक्त सूची के प्रकाशन तिथि के 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर (छ0ग0) को होगी।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) चयनित उम्मीदवार के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जावे आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(ii) जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

(iii) आवेदक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के शासकीय वेबसाईट **https://jashpur.dcourts.gov.in** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान नवीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा साथ ही पहचान संबंधित दस्तावेज यथा– आधार कार्ड, वाहन चालक लाईसेंस, मतदान परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। परीक्षा के लिये निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

(iv) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित रहना होगा उन्हें किसी भी प्रकार यात्रा देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(v) प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अंतिम चयन परिणाम के छःमाह के पश्चात विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होगा तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रकिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिये आवेदन मान्य नहीं होंगे।

(vi) लिखित कौशल/साक्षात्कार परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना का कोई प्रावधान नहीं है।

(vii) प्राप्त आवेदन पत्रों की कुट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थीयों की सूची का प्रकाशन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के शासकीय वेबसाईट **https://jashpur.dcourts.gov.in** पर प्रकाशित किया जावेगा एवं कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय जशपुर के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात जिला न्यायालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।

महत्वपूर्ण टीप :–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपायी जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थान – जशपुर,
दिनांक – 17/09/2024

17.9.24

अध्यक्ष
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

टायपिस्ट (सहायक ग्रेड–03) के पद पर नियुक्ति हेतु/ आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु

नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो स्व प्रमाणित चस्पा करें।

प्रति,

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर, जिला–जशपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....

3. लिंग (संकेतांक) पुरूष– 1, महिला–2, अन्य–3 [ ]

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) : ....

   : ....

   (ब) स्थायी पता : ....

   : ....

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

   (शब्दों में) : ....

   (ब) दिनांक 01.01.2024 को आयु [ ] वर्ष [ ] माह [ ] दिन

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है?

   हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

8. अ. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है?

   हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

   यदि हां तो,

   ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ0पि0वर्ग/ अनारक्षित वर्ग अंकित करें। [ ]

9. अ. क्या आवेदक दिव्यांग है? हां/नहीं ☐

(यदि हां तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

यदि हां तो,

ब. दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत : ....

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं ☐

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक

12. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

13. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं ☐

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि ☐

15. जीवित बच्चे की संख्या ☐

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है? हां/नहीं ☐

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. .... 4. ....
2. .... 5. ....
3. .... 6. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

मोबाईल नं. एवं ईमेल

कार्यालय– न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर, जिला– जशपुर (छ0ग0)
प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम :–   लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार

नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो स्व प्रमाणित चस्पा करें।

आवेदित पद का नाम :–

अभ्यर्थी का नाम :–

पिता/पति का नाम :–

वर्ग :–
(अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

परीक्षार्थी का अनुक्रमांकः–

परीक्षा केन्द्र का नामः–

परीक्षा का दिनांकः–

परीक्षा का समयः–

अध्यक्ष/चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र एवं वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थी प्रवेश–पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।